फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री छगनलाल चंदेल पिता श्री देवकिशन जी चंदेल, सामाजिक एवं आरटीआई कार्यकर्ता, निवासी अम्बिका चौक, जलचक्की, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 26/2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 05.05.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोंर से जरिये पत्र क्रमांक :– भू.अ./सू.अ./2025/1997 दिनांक 25.04.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी श्री छगनलाल पिता श्री देवकिशन चंदेल नि0 अम्बिका चौक जलचक्की, कांकरोली द्वारा जरिए डाक ग्राम झीलवाड़ा के आराजी नं. 1280/11, 1289, 1290, 2511 में श्री धर्मचन्द पिता पेमाराम खटीक के खोलग गए नामान्तरणों की प्रतिलिपि चाही गई थी। उक्त पत्र जरिए डाक दिनांक 07.03.2025 को प्राप्त हुआ। दिनांक 10.03.2025 को इस हेतु पटवारी हल्का झीलवाड़ा को इस कार्यालय से पत्र प्रेषित किया गया। दिनांक 24.03.2025 को पटवारी हल्का झीलवाड़ा द्वारा नामान्तरण संख्या 1311, 1339, 1342, 1343 की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत की। दिनांक 26.03.2025 को जरिए पत्र क्रमांक भू.अ./सू.अ./2025/1878 दिनांक 26.03.2025 से प्रार्थी को कार्यालय से प्रतिलिपियां प्राप्त करने सूचित किया गया। जिसे दिनांक 27.03.2025 को जरिए रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थी को भेजा गया। प्रार्थी द्वारा अब तक कार्यालय में उपस्थित होकर प्रतिलिपियां प्राप्त नहीं की गई है जबकि निर्धारित समय में ही प्रार्थी को सूचना दे दी गई थी कि वे कार्यालय में आकर प्रतिलिपियां प्राप्त करे। अतः निवेदन है कि अपील को खारिज करने की कृपा करावे। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर द्वारा दिनांक 26.03.2025 से प्रार्थी को कार्यालय से प्रतिलिपियां प्राप्त करने सूचित किया गया। उक्त संबंध में अपीलार्थी को सूचित कर दिये जाने से उक्त अपील को	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)